31

संख्या : 97 /XIII(II)/2013–10(08)/2012

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,
भरसार (पौड़ी गढवाल)।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 04 फरवरी/जनवरी, 2013

विषयः वार्षिक योजना 2012–13 में भारत सरकार, योजना आयोग द्वारा अनुमन्य विशेष आयोजनागत सहायता (S.P.A.) के अन्तर्गत भरसार विश्वविद्यालय के विभिन्न 06 निर्माण कार्यों के प्रक्रियागत कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रसार, भरसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : UUHF/ Pro. Off./D.E./2012/332 दिनांक 07दिसम्बर, 2012 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भरसार विश्वविद्यालय के संलग्न सूची में अंकित 06 निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम, देहरादून द्वारा प्रक्रियागत प्रथम चरण के कार्यों हेतु वांछित धनराशि के आगणन ₹ 42.77 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 15.47लाख (₹ पन्द्रह लाख सैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियागत कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा। तदोपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को द्वितीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन के अनुमोदनोपरान्त ही उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाएंगे।
2. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण में समायोजित की जाए।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
4. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2013 तक उपयोग करके उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के 80प्रतिशत उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
7. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
9. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
10. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

क्रमशः...

11. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।
12. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।
13. उक्त अनुदान का देयक भरसार विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जाएगा जो विश्वविद्यालय के कुलपति एवं वित्त नियंत्रक के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा तथा जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में आय–व्ययक के अनुदान संख्या 17' के लेखाशीर्षक "2415–कृषि अनुसंधान–00–आयोजनागत–80–सामान्य– 120–अन्य संस्थाओं को सहायता–10–भरसार विश्वविद्यालय हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. H1301171972 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 148(पी.)/XXVII(4)/2013 दिनांक 24जनवरी, 2013 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 27 (1)/XIII(2)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल।
5. मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल।
6. वित्त नियंत्रक, भरसार विश्वविद्यालय, भरसार।
7. परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम, देहरादून।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या : /XIII-II/2013-10(08)/2012 दिनांक : जनवरी, 2013 का संलग्नक

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रक्रियागत कार्यों हेतु आगणित धनराशि	संस्तुत/स्वीकृत धनराशि
1	2	4	
1	भरसार परिसर में प्रशासनिक भवन का निर्माण	22.58	08.03
2	भरसार परिसर में वी.आई.पी.गैस्ट हाउस, कुलपति कैम्प कार्यालय/आवास/कुलपति स्टाफ आवासों का निर्माण	08.39	02.78
3	भरसार परिसर में विजिटिंग प्रोफेसर छात्रावास का निर्माण	05.56	02.12
4	भरसार परिसर में किसान प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	03.88	01.64
5	भरसार विश्वविद्यालय के गजा अनुसंधान केन्द्र में प्रशासनिक भवन एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण	02.36	0.45
6	भरसार विश्वविद्यालय के कनाताल अनुसंधान केन्द्र में प्रशासनिक भवन एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण	—	0.45
	योग	42.77	15.47

(₹ पन्द्रह लाख सैंतालीस हजार मात्र)

(महावीर सिंह)
अनुसचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Agriculture (Grants) (9026)

आवंटन पत्र संख्या - **27**

अनुदान संख्या - **017**

अलोटमेंट आई डी - **H1301171972**

आवंटन पत्र दिनांक - 31-Jan-2013

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Pauri (4183) , Treasury - Garhwal (4200)

1: लेखा शीर्षक - 2415 - कृषि अनुसन्धान 80 - सामान्य

120 - अन्य संस्थाओं को सहायता

00 - भरसार विश्वविद्यालय हेतु अवस्थापना सुविधाओं का व 10 - भरसार विश्वविद्यालय हेतु अवस्थापना सुविधाओं

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	1547000	1547000
	0	**1547000**	**1547000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 1547000